बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०9/विविध–13–42/2014 स्वा० / पटना, दिनांक.......... /डा० नवल किशोर सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर सम्प्रति दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत, वर्तमान निवास का पता– एस० पी० शाही, सेवानिवृत प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग, डी० एम० सी० एच० बेता चौक, गामी पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा के विरूद्ध दिनांक 06.08.1999 से लगातार अनधिकृत अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं० 1017(9) दिनांक 05.08.2013 एवं संशोधित संकल्प सं० 1201 (9) दिनांक 24.11.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया। अधिगम में प्रमाणित आरोपों की छायाप्रति भेजते हुए डा० नवल किशोर सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नगछिया, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत, वर्तमान निवास का पता– एस० पी० शाही, सेवानिवृत प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग, डी० एम० सी० एच०, बेता चौक, गामी पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा से विभागीय पत्रांक 353 (9) दिनांक 24.03.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई।

3. आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर की विभाग में समीक्षा की गई, उनके द्वारा प्रत्युतर में उन्हीं बातों को दुहराया गया जो विभागीय कार्यवाही के समय संचालन पदाधिकारी को बताया गया था। डा० सिंह के द्वारा कोई भी नया तथ्य द्वितीय कारणपृच्छा में नहीं दिया गया।

4. आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी के दिनांक 06.08.1999 से सेवानिवृति की तिथि 28.2.2015 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के प्रमाणित पाए जाने के आधार पर डा० सिंह का पूर्ण पेंशन एवं उपादान जब्त करने के शास्ति प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया।

5. इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 226(9) दिनांक 20.03.2018 एवं 452 (9) दिनांक 25.04.2018 द्वारा डा० नवल किशोर सिंह,

सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्ण पेंशन एवं पूर्ण उपादान हमेशा के लिये जब्त करने हेतु सहमति/मंतव्य की मांग की गई।

6. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1031/लो0 से0 आ0 दिनांक 14.7.2018 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गई।

7. वर्णित स्थिति में डा0 नवल किशोर सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी का पूर्ण पेंशन एवं पूर्ण उपादान हमेशा के लिए जब्त करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 1065(9) स्वा0, पटना, दिनांक 26/9/2018

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रिय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर/भागलपुर, पटना/सिविल सर्जन सीतामढ़ी /भागलपुरको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 नवल किशोर सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत, वर्तमान निवास का पता— एस0 पी0 शाही, सेवानिवृत प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग, डी0 एम0 सी0 एच0, बेता चौक, गामी पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक—1031 दिनांक 14.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा— 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18 (ए) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.9.18

सरकार के उप सचिव।